सख्याः 2206 / XXIV-3/10/02(191)05

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनांकः 08 मार्च, 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2010–11 में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देवलधार (कण्डार) टिहरी के भवन निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सख्याः 5ख (2)/75591/रा0गा0न0वि0 टिहरी/2010; दिनांकः 27दिसम्बर, 2010 के संबंध में तथा शासनादेश संख्या 1433/XXIV-3/07/02(191)2005 दिनांक 16 जनवरी 2008 एवं शासनादेश संख्याः 1797/XXIV-3/07/02(191)2010 दिनांकः 27.01.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देवलधार (कण्डार)टिहरी गढ़वाल के भवन निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 1096.82 लाख के सापेक्ष पूर्व में स्वीकृत धनराशि रू0 224.09 लाख को समायोजित करते हुए देय अवशेष धनराशि रू0 872.73 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में रू0100 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि को शासनादेश संख्या 1261/XXIV–3/10/02(16)2010 दिनांक 13 सितम्बर, 2010 द्वारा प्रश्नगत योजनान्तर्गत अपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रूपये 250.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1. धनराशि यथा आवश्यकता दो चरणों में कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. कार्य करने से पूर्व उक्त कार्य के संबंध में कार्यदायी संस्था से वित्त विभाग के शासनादेश सं0 475/XXVII(07)2008 दि0 15.12.08 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर एम.ओ.यू. अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित का नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना स्वीकृत नाम है. स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय।

6. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

8. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। कार्य प्रारंभ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

9. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से अवश्य करा ली जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

10. जी0पी0डब्लू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड़ वसूल किया जायेगा। बिलम्ब के कारण आगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायेगा।

11. शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219(2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशो के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें।

12. निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐंजेन्सी उत्तरदायी होगी।

13. विभाग कार्य की गुणवत्ता एवं चैकिंग की व्यवस्था थर्डपार्टी से करायेंगे तथा इस का व्यय सेनटेज चार्जेज में निहित धनराशि से वहन होगा।

2. उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखा शीर्षक–4202–शिक्षा, खेलकूद, तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 202–माध्यमिक शिक्षा, –16– राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवनों का निर्माण, 00–आयोजनागत– 24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 1024(P)/XXVII(3)2010–11 दिनाँकः 03मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2206(1)/XXIV-3/10/02(191)2005 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0मंत्री,विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढवाल मण्डल–पौड़ी।
7. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल–पौड़ी।
8. बजट एवं राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय देहरादून।
9. जिलाधिकारी, टिहरी।
10. कोषाधिकारी, टिहरी।
11. जिला शिक्षा अधिकारी, टिहरी।
12. वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
13. कम्प्यूटर सैल (वित्त विभाग) उत्तराखण्ड शासन।
14. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जी0पी0तिवारी)
अनुसचिव।